"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114/-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 मार्च 2006—फाल्गुन 11, शक 1927

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक-288/एफ-1 (14) 05/48/सं.का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को सचिव द्वारा कूपन पुस्तकों के सेट दिये जायेंगे जो उसे तथा उसके साथ चल रहे किसी व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में भारत वर्ष के भीतर रेल द्वारा एवं वायुयान द्वारा रुपये 1,25,000.00 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) तक की सीमा तक निःशुल्क यात्रा का हकदार बनायेंगे.

परन्तु एक वित्तीय वर्ष में किसी सदस्य द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन रेल द्वारा एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय रुपये 1,25,000.00 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) से अधिक नहीं होगी, जिसमें से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम वायुयान यात्रा रुपये 85,000.00 (रुपये पच्चासी हजार) से अधिक नहीं होगी.

2. In the certificate of Rule-7, for the words and figure "Rupees 75,000 (Rs. Seventy Five Thousand)" words and figure "Rupees 1,25,000.00 (Rs. One Lac Twenty Five Thousand)" shall be substituted.

3. These amendment shall be deemed to have come into force with effect from 15th February, 2005.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

[illegible] शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

इस नियम के अंतर्गत वायुयान यात्रा की रकम की प्रतिपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किये गये प्रावधानों का पालन किया जायगा."

2. नियम 7 के प्रमाण-पत्र में शब्द एवं अंक रुपये 75,000.00 (रुपये पचहत्तर हजार) के स्थान पर शब्द एवं अंक रुपये 1,25,000.00 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) स्थापित किये जायें.

3. यह संशोधन 15 फरवरी, 2005 से प्रभावशील माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 289/एफ-1 (14) 05/48/सं.का.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 2nd March 2006

NOTIFICATION

No. 288/ F-1 (14) 05/48/P. A.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Legislative Assembly members (Fee Transit by Railway) Rules, 1978, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For rule-3, the following rule shall be substituted, namely :—

"Subject to the provisions of the Act and these Rules, every member shall be provided by the Secretary with sets of coupon books, which shall entitle him and any person accompanying him to travel with in Inida by Rail and by air value upto 1,25,000.00 (Rs. One Lac Twenty Five Thousand) in a financial year.

Provided that total expenditure on journey performed by a member by rail and by air under section 5-A in the said act shall not exceed the amount of Rs. 1,25,000.00 (Rs. One Lac Twenty Five Thousand) in a financial year out of which the maximum air journey will not exceed of Rupees 85,000.00 (Rs. Eighty Five Thousand) in a financial year.

For re-imbursement of the amount of air journey performed under this rule the provisions of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rule, 1957 shall be followed."